

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु०नं० :-०६/२०२५

निर्णय दिनांक :-२८.०३.२०२५

बइजलास :- राकेश कुमार ा (आर०ए०एस०)

१. मोहनलाल पुत्र भँवरलाल जाति जाट निवासी आवण्डिया तहसील फागी जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

१. अर्जुन पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर ।
२. कजोड पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर ।
३. धारासिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर ।
४. नवल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर ।
५. बृजेन्द्रसिंह पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर ।
६. बृजनरेश पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर ।
७. भगवान सहाय पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज. ।
८. भवाना पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर ।
९. यादराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज. ।
१०. रामचरण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज. ।
११. हरि पुत्र बन्नाराम जाति जाट निवासी देवनगर लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज. ।
१२. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज. ।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :- श्री नेतराम चौधरी वकील प्रार्थीगण

लगातार.....२

सत्यमेव जयते

फागी

(२)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा १२८, १११ एल.आर.एक्ट बाबत् मुताबिक सीमाज्ञान
पत्थरगढी आदेश फरमायें जाने बाबत्

निर्णय

दिनांक :-२८.०३.२०२५

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या खतौनी सं. १५१ के आराजी खसरा नम्बर ४४८/१ रकबा १.७४५० हैक्टर भूमि वाके ग्राम आवण्डिया पटवार हल्का सुल्तानिया भू. अभि. नि. क्षेत्र लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राज में स्थित आराजी का प्रार्थी खातेदार का तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में मेरकोर की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करने पर प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज खातेदारी आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान् तहसीलदार महोदय फागी के आदेश कमांक/भू.अ./२४/२४७५-७८ दिनांक २३/०५/२०२४ की पालना में दिनांक १०/०६/२०२४ को राजस्व टीम जिसमें पटवारी पटवार हल्का सुल्तानिया, निमेंडा व घटियाली ने संयुक्त रूप से सीमाज्ञान करवाया गया। राजस्व टीम द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शें अनुसार तहसीलदार फागी के आदेश की पालना में हुये सीमाज्ञान दिनांक १०/०६/२०२४ को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओं की नाप मय फर्द नक्शें की दर्शाते हुये सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार कर पालना रिपोर्ट तहसीलदार फागी के यहाँ प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा नही मानकर अनदेखी कर मिटाने पर आमादा हो गये। अप्रार्थीगण नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को अप्रार्थीगण नहीं मानते एवं प्रार्थी द्वारा विधिवत सीमाज्ञान करवाने के बावजूद पत्थरगढी नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी को कब्जें काश्त खातेदारी आराजी भूमि में मजाहत करते है। क्योंकि प्रार्थी की आराजी भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नही हो रखी हैं। सीमाज्ञान दिनांक १०/०६/२०२४ एवं आदेश कमांक/भू.अ./२४/२४७५-७८ दिनांक २३/०५/२०२४ को तहसीलदार फागी के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक १०/०६/२०२४ को हुये सीमाज्ञान एवं कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण नही मानते तथा प्रार्थी से आये दिन मेर कोर को लेकर लडाई-झगडा करते हैं तथा पत्थरगढी नही होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थी का यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक १०/०६/२०२४ एवं तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक १०/०६/२०२४ के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीगण को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान् न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

लगातार.....३

हपखण्ड अधिकारी
फागी

(३)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं० ०१ लगायत १२ बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं हुए। अप्रार्थी सं. ०१ लगायत १२ के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत २०७६-२०७९ वाके ग्राम आवंडिया खाता सं० १५१ में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं. ०३ में अंकन किया है कि ख.नं. ४४८/१ का दिनांक १०.०६.२०२४ विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि में अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या १५१ के आराजी खसरा नम्बर ४४८/१ रकबा १.७४५० हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम आवंडिया तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते हैं। पत्थरगढी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक २८.०३.२०२६ को सरे इजलास सुनाया गया।


(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर